भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 862

उत्तर देने की तारीख 24.07.2025

जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

862. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमूर्त जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण हेतु कोई नई पहल की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जनजातीय समुदायों के संगीत, मौखिक या शिल्प परंपराओं का अभिलेखन किया गया है;

(ग) क्या इन सांस्कृतिक तत्वों को संग्रहालय प्रदर्शनियों या डिजिटल मंचों में एकीकृत किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(घ) जनजातीय कलाकारों को अपनी विरासत के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या जनजातीय विरासत को पर्यटन के माध्यम से मौद्रीकरण हेतु जनजातीय समुदायों के साथ कोई राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) : केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के अनुमोदन के अधीन है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्राओं और जनजातियों द्वारा आदान–प्रदान यात्राओं के आयोजन से संबंधित प्रस्तावों को तैयार किया जाता है ताकि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और अनुष्ठानों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके। टीआरआई मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संस्थान हैं। इस योजना के अंतर्गत, अमूर्त जनजातीय संस्कृतिक दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए कुछ पहलें निम्नानुसार हैं :-

1. जनजातीय भाषाओं के संरक्षण सहित समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) वृत्तचित्रों सहित अनुसंधान अध्ययन/ दस्तावेजीकरण।
2. जनजातीय चिकित्सकों द्वारा अपनायी गई स्वदेशी पद्धतियों और औषधीय पौधों, आदिवासी भाषाओं, कृषि प्रणाली, नृत्य और चित्रकला, साहित्यिक उत्सवों का आयोजन, जनजातीय लेखकों/साहित्यकारों द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रकाशन, अनुवाद कार्य और साहित्य प्रतियोगिताओं आदि का अनुसंधान और दस्तावेजीकरण। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) उपाय के तहत जनजातीय भाषाओं में कक्षा I से V के छात्रों के लिए द्विभाषी शब्दकोश, त्रिभाषी प्रवीणता मॉड्यूल, प्रवेशिकाएं (प्राइमर) तैयार करना। जनजातीय भाषाओं में वर्णमाला, स्थानीय कविताएं और कहानियां

प्रकाशित करना। जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जनजातीय भाषाओं पर किताबें, पत्रिकाएँ (जर्नल्स) प्रकाशित करना। जनजातीय लोक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जनजातियों की लोककथाओं और लोककहानियों का प्रलेखन करना। मौखिक साहित्य (गीत, पहेलियां, गाथागीत आदि) एकत्र करना।

3. भारत सरकार ने सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान का स्मरण करने और सम्मान करने हेतु जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों को पुनः सक्रिय करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित भी किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर 2021 से अपने जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मना रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जन जातीय गौरव वर्ष (जेजेजीवी) मना रही है, जिसका उद्देश्य देश भर में जनजातीय समुदायों के योगदान, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना है।

(ख) और (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय निष्ठा कार्यक्रम नहीं चलाता है। हालाँकि, जहाँ भी प्रावधान हो, सांस्कृतिक तत्वों को जनजातीय संग्रहालयों की प्रदर्शनियों या डिजिटल प्लेटफार्मों में एकीकृत किया जा रहा है। **(घ) :** जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कलाकारों को उनकी विरासत के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, केंद्र प्रायोजित योजना "जनजातीय अनुसंधान संस्थान(ओं) को सहायता" के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला, राष्ट्रीय/राज्य जनजातीय उत्सव, कला प्रतियोगिता, जनजातीय चित्रकला पर कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी, राज्य स्तरीय जनजातीय कवि और लेखक सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। जनजातीय कलाकार इन आयोजनों में भाग लेते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं।

(ड.) : जी नहीं, हालांकि, राज्य जनजातीय संग्रहालयों का प्रबंधन करते हैं और उनकी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय समुदायों के साथ बातचीत करते हैं।

*****